पत्रांक –10/न 4–16/2006 मा0........../–(फोल्डर–5)

मानव संसाधन विकास विभाग

बिहार, पटना

प्रेषक,

श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक–

विषयः– सरस्वती विद्या मन्दिर, विवेकानन्द पुरम, सिंगही, आरा, भोजपुर को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

1. विद्यालय का संचालन निबंधित न्यास "शिशु शिक्षा प्रबन्ध समिति बिहार" के द्वारा किया जाता है। न्यास के शासी निकाय के सदस्यो की सूची दी गयी है और यह सूचना भी दी गयी है कि सदस्यों का आपस में पारिवारिक संबंध नही है तथा उनके बीच रक्त संबंध भी नही है। सदस्यों के नाम, पता, पेशा आदि की विवरणी दी गयी है। सूची में 11 सदस्य है जिनमें आठ का पेशा समाजिक कार्यकर्त्ता बताया गया है जबकि एक अधिवक्ता एक व्यापारी एवं एक को प्रोफेसर अंकित किया गया है। सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं व्यापारी सामान्य शब्द हैं। जिनसे वास्तविक पेशा का ज्ञान नही होता है। अनिवार्य शर्त्त के अन्तर्गत शासी निकाय के सदस्यों के पेशा के संबंध में जानकारी दिया जाना आवश्यक है। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अनिवार्य शर्त्त के अनुरूप सदस्यों के पेशा के सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई करना चाहेगा।
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फेन्चाईजी के रूप में स्थापित होने अथवा किसी Brand name का उपयोग प्रत्यक्ष नही करने का दावा किया है ।
3. विद्यालय के पास 3 एकड़ से अधीक भूमि है। जिस पर आवेदन के अनुसार केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप भवन, उपस्कारण [उपस्कर] प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि उपलब्ध है। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधा की जॉच बोर्ड को अपने निरीक्षण दल से करा लेनी होगी।
4. विद्यालय में प्रधान अध्यापक सहित 9 शिक्षक है, जिनमें 3 ही प्रशिक्षित है। हालांकि आवेदन में शिक्षको की योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप बताया गयी है, जबकि 6 शिक्षकों के अप्रशिक्षित होने से सूचना में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। ऐसा कोई साक्ष्य नही दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया हो। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि नियुक्ति विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत वस्तुनिष्ठ तरीके से की गयी है।
5. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाने का दावा किया गया है ।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक किये जाने का दावा किया गया है। लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नही दिया गया है जिससे उपर अंकित कथन की पुष्टि होती है।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या [illegible] दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है । अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रूपये प्रतिवर्ष होगें।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के०जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुलें तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्तें सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा ।

10. शर्त्तो के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं उपर वर्णित शर्तों के आधार पर सरस्वती विद्या मन्दिर, विवेकानन्द पुरम, सिंगही, आरा, भोजपुर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है

12. विद्यालय से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2006 की छायाप्रति संलग्न है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक –यथोक्त

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक – पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपि – प्राचार्य, सरस्वती विद्या मन्दिर, विवेकानन्द पुरम, सिंगही, आरा, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक – 693 पटना, दिनांकः– 6.11.06

प्रतिलिपि – जिला शिक्षा पदाधिकारी, आरा, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा